रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2015/पौष 30, 1936
No. 138] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2015/PAUSA 30, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2015

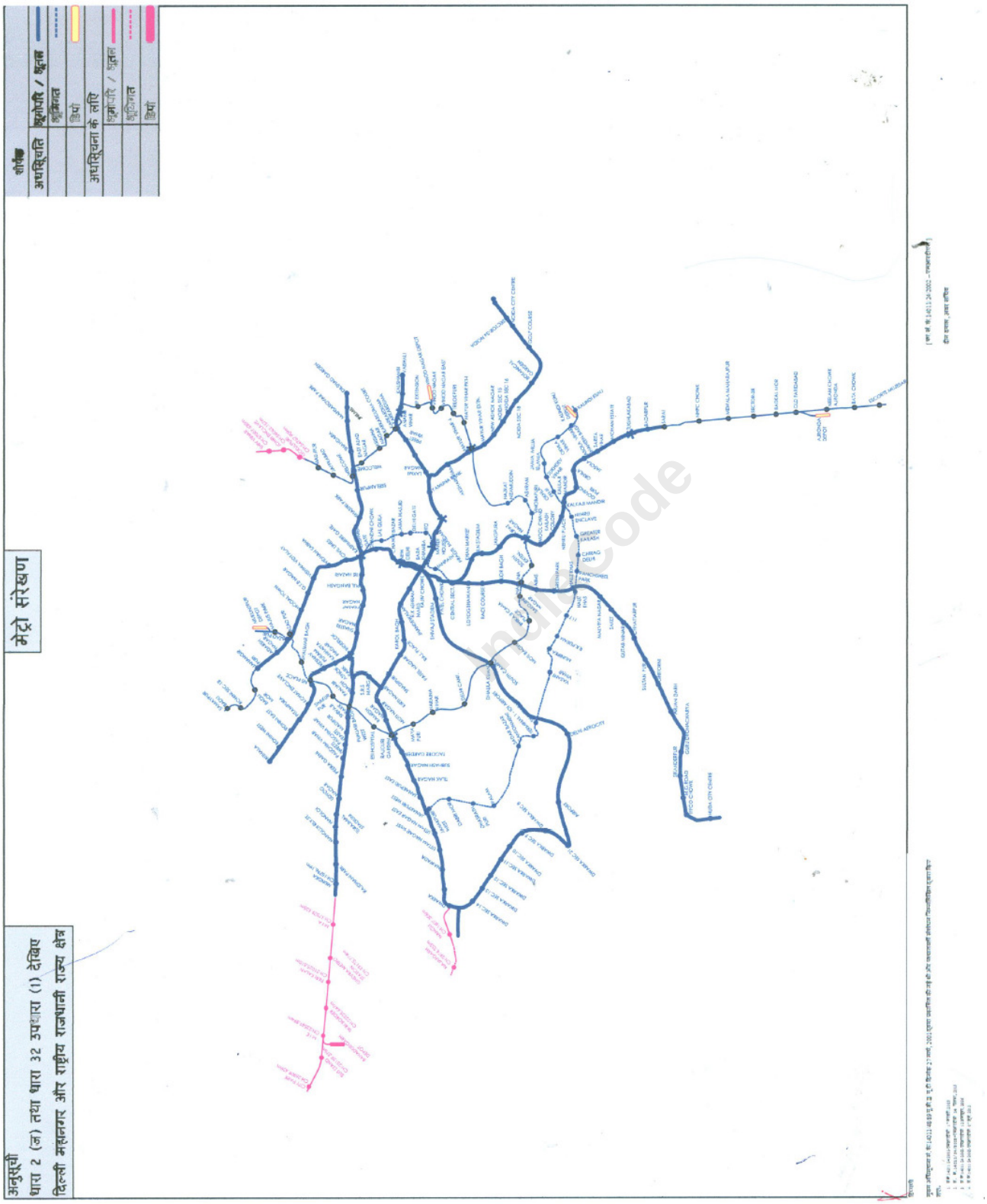
का.आ. 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-1 तारीख 27 मार्च, 2001 में प्रकाशित भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ सं. के-14011/48/89-यूडी-II (यूटी) का.आ. तारीख 27 मार्च, 2001 के द्वारा दिल्ली के महानगर शहर के संबंध में उक्त अधिनियम की अनुसूची में उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट मेट्रो संरेखण जोड़ा है।

मेट्रो रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) के उपबंधों को अधिसूचना सं. का.आ. 2625(अ) तारीख 16.10.2009 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि दिल्ली के महानगर शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में मेट्रो रेल के संनिर्माण और अनुरक्षण के लिए अनुसूची मेट्रो मार्ग संरेखण को जोड़ना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित रीति से, मेट्रो रेल के संनिर्माण और अनुरक्षण के लिए दिल्ली के महानगर शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में मेट्रो मार्ग संरेखण जोड़ती है, अर्थात्:—

दिल्ली के महानगर शहर के संबंध में मेट्रो मार्ग संरेखण संबंधित उक्त अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—


अनुसूची
धारा 2 (ज) तथा धारा 32 उपधारा (1) देखिए
दिल्ली मंडलगर और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
मेट्रो संरेखण
संकेत
अधिसूचित
भूमिगत
ऊर्ध्व
अधिसूचना के लिए
भूमिगत
ऊर्ध्व

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2015

S.O. 198(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation number F. No. K-14011/48/89-UD. II (UT) S.O., dated the 27th March, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 27th March, 2001, issued under clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has added the metro-alignment in respect of the metropolitan city of Delhi as specified in the said notification, to the schedule of the said Act;

Whereas, by notification number S.O. 2625(E), dated the 16th October, 2009, the provisions of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) has been extended to the areas of National Capital Region;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that for the construction and maintenance of the metro railway in respect of metropolitan city of Delhi and the National Capital Region, it is necessary to add to the Schedule the metro alignment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the said Act, the Central Government, for the construction and maintenance of the metro railway, hereby adds to the Schedule to the said Act, the metro alignment in respect of metropolitan city of Delhi and National Capital Region, in the following manner, namely:—

For the said Schedule relating to the metro alignment in respect of metropolitan city of Delhi, the following Schedule shall be substituted, namely :—

IndiaCode



Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.